देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक–प्रशा. / 2023 645 दिनांक 7 AUG 2023

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक एवं विभाग प्रमुख
   समस्त अध्ययनशालाएं / संस्थान
   देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
   इन्दौर
2. उप कुलसचिव (स्थापना विभाग)
3. उप कुलसचिव (शैक्षणिक विभाग)
4. समन्वयक, एन.एस.एस
5. प्रभारी पी.एच.डी. प्रकोष्ठ

विषय :– माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 2.5.2023 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही बावत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संलग्न कार्यवाही विवरण मे उल्लेखित बिन्दुओं की जानकारी प्रशासन विभाग को दिनांक 11.8.2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये ताकि एकजाई कर उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित की जा सके ।

Bpatne

सहा.कुलसचिव(प्रशासन)

(10)

कृपया आईटी सेन्टर को ओर, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 1108/1360824/2023/38-3 भोपाल, दिनांक 31/7/2023

प्रति,

कुलसचिव,

1. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
3. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
4. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड, विश्वविद्यालय, छतरपुर
5. विक्रम विश्विवद्यालय, उज्जैन
6. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
7. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
8. डा. एस.एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय, शहडोल
9. राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा
10. महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना
11. महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन
12. मध्यप्रदेश भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल
13. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
14. महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटनी
15. डा. बी.आर. अम्बेडकर, सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू।

विषय:- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 2.5.2023 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही बाबत।

--

उपरोक्त विषयांतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय के पत्र क्रमांक 754/99/आउशि/शा-5'अ'/2023, दिनांक 29.5.2023 की छायाप्रति संलग्न है।

2/ निर्देशानुसार कार्यवाही विवरण में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 7,8,10 एवं 12 के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
प्रशा.क्र. 1109
3 AUG 2023

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
पंजी क्रमांक 1360824 /38-3
दिनांक 05-06-2023

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 754 / 99 / आउशि / शा–5'अ' / 2023, भोपाल, दिनांक 29 / 05 / 2023

कार्यवाही विवरण
मान्नीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय
समीक्षा बैठक
दिनांक 2 मई, 2023
–0–

माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित समिति कक्ष में दिनांक 05 मई, 2023 को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी ।विभागीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, आयुक्त उच्च शिक्षाएवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आयुक्त महोदय द्वारा एजेण्डावार प्रस्तुतीकरण किया गया। माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा द्वारा विभागीय प्रस्तुतीकरण की समीक्षा उपरांत निम्नानुसार निर्देशित किया गया:–

1. पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. स्वामी विवेकानंद से सम्बंधित पुस्तक के अंश वाचन संबंधी आयोजन को जुलाई–अगस्त, 2023 में क्षेत्रवार आयोजित करने पर विचार–विमर्श कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही–स्वामी विवेकानंद कॅरियर गाइडेंस)

3. स्वाधीनता के अमृतमहोत्सव अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 तथा प्रस्तावित युवा नीति के संबंध में जागरूकता कार्यकम के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों के मतदाता परिचय पत्र अभियान चलाकर बनाए जाएं, इसमें राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को भी पात्रतानुसार सम्मिलित किया जाए।

(कार्यवाही–अकादमी एवं गुणवत्ता / समन्वय प्रकोष्ठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति)

4. नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि प्रकरणों में शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जाए, इस हेतु 20 मई, 2023 समय–सीमा निर्धारित की गई।

(कार्यवाही–गोपनीय शाखा)

5. प्राध्यापक पदनाम एवं 10,000/– ए.जी.पी. दिए जाने संबंधी कार्यवाही वित्त विभाग से बैठक आयोजित कर पूर्ण कराई जाए।

(कार्यवाही–गोपनीय शाखा)

6. विभाग से संबंधित कैबिनेट में प्रस्तुत करने हेतु विभाग की विभिन्न इश्यू, लंबित प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करें।माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया किमंत्री–परिषद में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों की सूची उनके कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही– सम्बंधित शाखा)

29/5/23

7. पी–एच.डी. की उपाधि की शोध प्रकिया का प्रचार–प्रसार किया जाए। पी–एच.डी. शोध निदेशक प्राध्यापकों का स्थानांतरण ऐसे महाविद्यालय में न हो जहॉ स्नातकोत्तर की कक्षाएं संचालित नहीं हैं।

(कार्यवाही–विश्वविद्यालय शाखा, मंत्रालय)

8. विभाग अंतर्गत संचालित पैरामेडिकल, नर्सिंग पाठ्यकम में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षाएं सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराए जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग का अभिमत प्राप्त कर, प्रस्ताव समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– विश्वविद्यालय शाखा, मंत्रालय)

9. शासकीय महाविद्यालयों के नामकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव की सूची माननीय मंत्री जी के कार्यालय को दी जाए।

(कार्यवाही– सम्बद्धता शाखा)

10. सभी विश्वविद्यालयों में सम्बद्धता शुल्क में एकरूपता लाने के संबंध में जारी किए गए आदेश के कियान्वयन की जानकारी प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही–विश्वविद्यालय शाखा, मंत्रालय)

11. निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाए जाने हेतु अशासकीय महाविद्यालय की मार्गदर्शिका में संशोधन कर प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही– सम्बद्धता शाखा)

12. विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रकिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही–विश्वविद्यालय शाखा, मंत्रालय)

13. मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र निजी महाविद्यालयों में भी प्रारंभ किए जाएं।

(कार्यवाही–अकादमी एवं गुणवत्ता शाखा)

14. भविष्य को दृष्टिगत शासकीय महाविद्यालयों में क्षमतानुसार ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए।

(कार्यवाही–अकादमी एवं गुणवत्ता शाखा)

15. विश्वविद्यालय द्वारा पिछड़े गॉवों को गोद लेने संबंधी उपलब्धियों के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित किया जाए । उपलब्धियों के संबंध में सभी गॉवों से वीडियो क्लिप, अनुभव, पूर्व की अपेक्षा क्या सुधार आया है, सम्पूर्ण जानकारी आगामी बैठक में रखें। स्वाधीनता के अमृतमहोत्सव अन्तर्गत, 15 अगस्त, 2023 के पूर्व सम्पूर्ण तैयारी कर ली जाए।

(कार्यवाही–एन.एस.एस.प्रकोष्ठ, मंत्रालय)

16. नव निर्माण कार्यो के संबंध में निर्देशित किया गया कि शासकीय आवंटन का बेहतर उपयोग हो, जहॉं आवश्यक हो वहॉं बाउन्ड्रीवॉल तथा कैम्पस हों। जनजातीय कार्य विभाग से समन्वय स्थापित कर महाविद्यालय के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इन महाविद्यालयों, स्टाफ क्वार्टर का सतत आकस्मिक निरीक्षण कराया जाए।

(कार्यवाही—निर्माण, रूसा, विश्वबैंक परियोजना)

17. अतिथि विद्वानों सहित अन्य स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु बॉयोमेट्रिक मशीन लगायी जाए, जहॉं कार्यालय आने एवं जाने के समय की उपस्थिति दर्ज की जाए इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं।

(कार्यवाही—अतिथि विद्वान प्रकोष्ठ)

18. निर्माण कार्यो हेतु रूसा—3 का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

(कार्यवाही—निर्माण, रूसा, विश्वबैंक परियोजना)

19. राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुभव हेतु टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित करें, इसमें भोज एवं निजी विश्वविद्यालय को भी सम्मिलित करें।

(कार्यवाही—समन्वय प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति/अकादमी एवं गुणवत्ता शाखा)

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा माननीय मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

"प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.भोपाल

पृ.क. 755/99/आउशि/शा—5'अ'/2023, भोपाल, दिनांक 29/05/2023

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. सर्वसंबंधित विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा/रूसा/विश्व बैंक, म.प्र., भोपाल।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा शिक्षा म.प्र., भोपाल।

....सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.भोपाल